



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-17)/2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 20800(लेवल-5) उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आरएससी आईटी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री विनित दिवाकर,	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, समूह, जोधपुर।	24.11.2015	24.11.2017	27.09.2016	05.02.2016
2	श्री राजकुमार बडोतिया,	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, सांभरलेक, जयपुर-द्वितीय	25.05.2016	25.05.2018	28.06.2017	24.10.2016

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 27/02/18

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-17)/2018/201

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, समूह, जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांभरलेक, जयपुर-द्वितीय।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर